अतिमहत्वपूर्ण/ विशेषध्यानाकर्षण

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/नोडल, अधिकारी,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
राजकीय/अनुदानित/पी0पी0पी0 मोड/निजी क्षेत्र की संस्थायें।

पत्रांक: प्राशिप/ अनु03/डिजीशक्ति/2024/ 12295 **लखनऊ: दिनांक-** 21/03/2025

विषय: स्वामी विवेकान्नद युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत पात्र छात्र-छात्राओं का डाटा अपलोड, अग्रसारित करने एवं संस्था में रखे अवशेष टेबलेट/स्मार्टफोन का वितरण, मैपिंग कराये जाने के संवंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक परिषद पत्र संख्या प्राशिप/अनु03/डिजीशक्ति/2024/10906, दिनांक 19/02/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्वामी विवेकान्नद युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत छात्र/ छात्राओं का डाटा अपलोड, अग्रसारित करने एवं संस्था में रखे अवशेष टेबलेट/स्मार्टफोन का वितरण, मैपिंग कराये जाने के संबंध में आपको निर्देश प्रदान किये गये हैं।

किन्तु उपरोक्त निर्देशों के उपरान्त भी कतिपय नोडल अधिकारियों द्वारा संस्था में पंजीकृत छात्र/छात्राओं के डाटा को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा रहा है, एवं जिन छात्रों के डाटा को विभाग द्वारा लॉक कर दिया गया है उसकी ईकेवाईसी कराने के उपरान्त सलेक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कर जनपद स्तर पर अग्रसारित नहीं किया जा रहा है, साथ ही संस्थाओं द्वारा जनपद स्तर से टेबलेट/स्मार्टफोन प्राप्त किये जा चुके हैं, किन्तु प्राप्त डिवाइसों का वितरण संस्था स्तर से छात्र-छात्राओं को नहीं किया गया है।

अवगत हों कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशिक्तकरण योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जिसके संबंध में डिजीशक्ति द्वारा पोर्टल के माध्यम से समय-समय पर शासनादेश/आदेश, एवं वीडियों इत्यादि प्रेषित /अपलोड किये जाते रहे हैं, जो पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। अत: उक्त के दृष्टिगत समस्त नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि पोर्टल पर उपलब्ध शासनादेश/आदेशों का अक्षरश: पालन करते हुए संस्था में पंजीकृत छात्र/छात्राओं के डाटा को अपलोड करना सुनश्चित करें, तथा जिन छात्रों के डाटा को विभाग द्वारा लॉक कर दिया गया है उक्त डाटा की केवाईसी कराने के उपरान्त सलेक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम कर जनपद स्तर पर अग्रसारित करना सुनश्चित करे एवं जिन संस्था नोडल अधिकारी के पास अभी भी अवशेष डिवाइस वितरण हेतु संस्था में उपलब्ध हैं, तत्काल मैपिंग कराते हुए दिनांक 31/03/2025 तक प्रत्येक दशा में छात्रों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यदि आप द्वारा समयान्तर्गत कार्यवाही नहीं की जाती है और किसी पात्र छात्र/छात्रा का शिकायती पत्र/ आई0जी0आर0एस0/आर0टी0आई0 आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त होता है तो आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेजी जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था के नोडल अधिकारी का होगा। चूंकि कार्य छात्रहित से संबंधित है अत: किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

भवदीय

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0 प्राशिप/अनु03/डिजीशक्ति/2024/ 12296-98 **तद्दिनांक-** 21/03/2025

प्रतिलपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पूर्वी क्षेत्र/ बुन्देलखण्ड क्षेत्र/ मध्य क्षेत्र/ पश्चिमी क्षेत्र, दौराला मेरठ को इस अनुरोध के साथ अपने क्षेत्रान्तर्गत संस्थाओं को उपरोक्त के संबंध में अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त को परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव